245

संख्याः 388 /XXVII(1) /2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 :: देहरादून :: दिनांकः 23 जुलाई, 2012

विषयः– **तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के प्ररिपेक्ष्य में शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष वर्ष 2015–16 तक की अवधि के लिए राज्य के निज कर राजस्व का 10.5 प्रतिशत भाग अंतरण के रूप में नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को देय होगा, जिसे शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के बीच 50:50 के अनुपात में बराबर–बराबर वितरित किया जायेगा।

शहरी स्थानीय निकायों को देय 50 प्रतिशत अंश में से नगर निगमों को 12.5 प्रतिशत, समस्त नगर पालिका परिषदों को 30 प्रतिशत एवं समस्त नगर पंचायतों को 7.5 प्रतिशत अंश देय होगा।

2– आयोग द्वारा नगर निगमों के बीच अंतरण की संस्तुति निम्न मानदण्डों के आधार पर की गई हैः–

1.	जनससंख्या	75 प्रतिशत
2.	क्षेत्रफल	10 प्रतिशत
3.	कराधान प्रयास	10 प्रतिशत
4.	विशेष परिस्थितियाँ	5 प्रतिशत

3– आयोग द्वारा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अंतरण राशि का वितरण निम्न आधार पर किया गया हैः–

		नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
1.	जनससंख्या	60 प्रतिशत	65 प्रतिशत
2.	क्षेत्रफल	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
3.	स्वयं का प्रति व्यक्ति राजस्व	15 प्रतिशत	15 प्रतिशत
4.	विशेष परिस्थितियों	15 प्रतिशत	10 प्रतिशत

शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को देय अंश अनुलग्नक– I व II में इंगित किये गये हैं।

तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनाये गये सिद्धान्त तथा मापदण्ड़ों के आधार पर दो नगर पंचायतों, नगर पंचायत–द्वाराहाट, तथा बड़कोट को मिलने वाली अंतरण राशि में कमी हो रही है, जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन निकायों को मिलने वाले

अंतरण की राशि में कमी न की जाय। उन्हें वर्ष 2010–11 के आधार पर ही अंतरण दिया जाय परन्तु प्रोत्साहन तथा हतोसाहन का प्रतिबंध इन निकायों पर भी लागू रहेगा।

4– आयोग ने तीन अनिर्वाचित नगर पंचायतों कमशः –बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं गंगोत्री को सामान्य अन्तरण के स्थान पर निम्नानुसार सहायक अनुदान की संस्तुति की गई है:–

1.	**बद्रीनाथ**	**50 लाख प्रतिवर्ष**
2.	**केदारनाथ**	**25 लाख प्रतिवर्ष**
3.	**गंगोत्री**	**25 लाख प्रतिवर्ष**

5–दुर्गा शाह म्युनिसिपल लाईब्रेरी का सुदृढ़ीकरणः– आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹ 50 लाख के अनुदान की संस्तुति की है, जिसे शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसके अन्तर्गत निःशुल्क साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुये पुस्तकालय की सम्पत्ति को कम्प्यूटरीकृत किया जाना, भवन मरम्मत, फर्नीचर, कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरणों के क्रय हेतु किया जायेगा। नगर पालिका परिषद, नैनीताल इसकी विस्तृत कार्ययोजना बनाकार नगर विकास विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्तुत करेगी। उसके बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

6–उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी को अनुदानः– शहरी विकास का राज्य संस्थान स्थापित करने और प्रारम्भ करने में उसे उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी में खोलने की सिफारिश की है। शहरी मुद्धो से सम्बन्धित क्षमता निर्माण/ अनुसंधान के लिये उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल को ₹ 25 लाख का वार्षिक अनुदान देय होगा। अकादमी इसके लिए अपनी कार्ययोजना शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करेगी तथा कार्ययोजना के अनुमोदन के बाद धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

7– तृतीय राज्य वित आयोग की संस्तुति के क्रम में वर्ष 2011–12 के लिए कोई भी अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी एवं वर्ष 2012–13 से आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था/ सूत्र के आधार पर धनराशि अंतरित की जाएगी।

8– आयोग द्वारा निकायों को अंतरित की जाने वाले धनराशि के निर्धारण हेतु फार्मूला निर्धारित किया गया है, जिसमें निकायों की जनसंख्या भी एक कारक है। जनगणना–2011 के अन्तिम आंकड़े प्राप्त न होने के कारण आयोग ने इस हेतु जनगणना–2001 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अन्तिम आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद निकायों को देय अंश का पुनः निर्धारण किया जायेगा।

9– तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई वित्तीय संस्तुतियों के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है:–

(1) ऐसे शहरी स्थानीय निकाय जो संपत्ति कर नहीं लगाते हैं, उन्हें राज्य के कर राजस्व में वृद्धि होने पर किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी का अधिकार नहीं होगा।

(2) अन्य शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में अतिरिक्त राशि, जो राज्य के कर राजस्व में सामान्य वृद्धि होने पर देय होगी, में से आधी राशि फार्मूले के आधार पर वितरित की जायेगी जबकि बकाया आधी राशि प्रोत्साहन अनुदान तथा विशेष प्रयोजन अनुदान के रूप में वितरित की जाएगी।

(3) ऐसे शहरी स्थानीय निकाय जो पुनः निर्धारण का समय हो जाने पर भी संपत्ति कर का पुनः निर्धारण नहीं करते उन्हें प्रोत्साहन तथा विशेष प्रयोजन अनुदान के लिए निर्धारित अतिरिक्त अंतरण राशि के 50 प्रतिशत में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।

(4) ऐसे शहरी स्थानीय निकाय जो स्वयं के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करेगें किसी वर्ष में स्वयं के राजस्व में प्रत्येक 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अनुवर्ती वर्ष में अन्तरण राशि में उनके हिस्से में 5 प्रतिशत, अधिकतम 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी।

(5) ऐसे शहरी स्थानीय निकाय जो अवार्ड अविध 2010–15 में 13वें वित्त आयोग के अनुदान का पूरा उपयोग सुनिश्चित करेगें, उन्हें वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुदान दिया जा सकेगा!

नगर निगमों के लिए :	**₹**	**50**	**लाख**
नगर पालिका परिषदों के लिए आबादी के अनुसारः–			
1 लाख से अधिक :	**₹**	**40**	**लाख**
50000 से 1 लाख के बीच :	**₹**	**30**	**लाख**
20000 से 50000 के बीचः	**₹**	**20**	**लाख**
20000 से कम	**₹**	**10**	**लाख**
नगर पंचायतों के लिए :	**₹**	**5**	**लाख**

10– आयोग की संस्तुतियों के कम में निकायों को अंतरित की जाने वाले धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि पर व्यय किया जायेगा। वेतन, भत्ते आदि के भुगतान के बाद अवशेष धनराशि विकास कार्यो में व्यय की जायेगी।

11– तृतीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकारक ज्ञापन सभी निकायों को पूर्व प्रेषित किया जा चुका है। आयोग द्वारा प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के संबंध में सभी निकायों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जानी है।

12– निकायों के सेवा निवृत्त केन्द्रीयत एवं अकेन्द्रीयत कर्मचारियों के जून, 2012 तक पेंशन, उपादान एवं भविष्य निधि आदि के लम्बित देयकों के भुगतान हेतु अलग से व्यवस्था की जा रही है जो केवल लम्बित देयकों के भुगतान के लिए ही है। सेवा निवृत्त कार्मिकों को पेंशन, उपादान एवं भविष्य निधि आदि के लम्बित देयकों के भुगतान के बाद अवशेष राशि का कुछ अंश निदेशालय स्तर पर एक निधि का गठन कर उसमें अतिरिक्त स्रोत के रूप में जमा किया जायेगा। इस निधि से यथा आवश्यकता केन्द्रीयत एवं अकेन्द्रीयत कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक लाभों के भुगतान हेतु आर्थिक वित्त पोषण किया जा सकेगा।

13–<u>सामान्य निर्देश</u>:–

1. निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि को कोषागार से आहरित कर नगर निगम/नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों खाते में सीधे अंतरित की जायेगी। अंतरित की जाने वाली धनराशि का उपयोग केवल उस कार्य के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि संकमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/ समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
2. निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण हित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा। इस धनराशि का

उपयोगिता प्रमाण–पत्र अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करा कर वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या–19, पूर्वी ब्लॉक, सचिवालय, देहरादून को किये गये कार्य के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा और तभी अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्याः 388 / XXVII(1)/ 2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
(2) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(4) निदेशक, शहरी विकास विभाग, 43–माता मन्दिर रोड़, धर्मपुर–देहरादून।
(5) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, (लेखा एवं हकदारी) 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
(6) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
(7) निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
(8) समस्त मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(9) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम–देहरादून / हरिद्वार / हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
(10) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड।
(11) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
(12) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
(13) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(14) एन.आई.सी. सचिवालय, परिसर, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।